रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2748] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938
No. 2748] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/AGRAHAYANA 2, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

का.आ. 3517(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 2386(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी;

और, जनता और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य, जिसका कुल क्षेत्र 197.91 हेक्टेयर (489.04 एकड़) है, बिहार के उत्तरी मैदान में वैशाली जिले के पाटेपुर ब्लॉक के झील बराइला ग्राम में (गांव का कुल क्षेत्र 1278.03 हेक्टेयर या 3158.01 एकड़ है) स्थित है और 25^{0}45'58" और 25^{0}45'37" उत्तर अक्षांश के मध्य तथा 85^{0}31'48" और 85^{0}34'50" पूर्वी अक्षांश के मध्य स्थित है;

और, बराइला लेक पक्षी अभयारण्य और उसके सटे हुए क्षेत्र गंगा के मैदान के तटीय जोन में जल विज्ञान संबंधी और नमभूमि तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र संबंधी क्रियाओं तथा स्थानीय और प्रवासी पक्षीजीव के वास स्थान होने के साथ विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पति तथा जीवजंतु के प्राकृतिक स्थान हो, से पारिस्थितिक अपरिमित और पर्यावरणीय महत्व का है;

और, अभयारण्य में भारतीय समुद्री पक्षी, लाल जंतुक फाख्ता, एशियन कोयल, छोटा बीकैचर, ब्रह्मी स्टारलेट और इंडियन ट्री पाई जैसे महत्वपूर्ण आवासीय पक्षी और ब्लैक इब्स, ब्रह्मी शैल डक, बार हेडिड घूस, ऑरियंटल मगपइ रोबिन और लेसर व्हेस्टलिग डक जैसे कुछ प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं;

और, बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विर्निदिष्ट है, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों तथा उनकी संक्रियाओं और प्रसंस्करणों को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 3.5 किलोमीटर तक के परिवर्ती विस्तारित क्षेत्र को बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 3.5 किलोमीटर में परिवर्तित है । पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 1083.55 हेक्टेयर है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन और पक्षी अभयारण्य की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में सलंग्न है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के मानचित्र के साथ उसके अक्षांश और देशांतर **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(4) ऐसे गांव, जिनका क्षेत्र या उसका भाग पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आता है, झील बाराइला और लोमा है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना--(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों के अनुसरण में एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों की परामर्श से उनके उस पर एकीकृत पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिका ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ; और

(viii) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

IndiaCode

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 23, सं. 27, सं. 32 और सं. 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ गृह;

(iii) वर्षा जल संचय; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

IndiaCode

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, बिहार सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) पारिस्थितिक पर्यटन, मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के

लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि. 343(अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना, विनीर मिलें या काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	ऐसे उद्योगों की स्थापना, जिनसे जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित होता है ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले किसी नए उद्योग को लगाने या उसके विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

IndiaCode

(6)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप:	
(9)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
(10)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
(11)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा।

		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(14)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों, रेल पटरी का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	सुरक्षा बलों के कैंप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी ।
(27)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ गृह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(28)	नदियों और प्राकृतिक जल स्त्रोतों में मछली पकड़ना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग- संवर्धित क्रियाकलाप :	
(31)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(32)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(33)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(34)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(35)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(36)	वानस्पतिक बाड़ ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(37)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(38)	कृषि वानिकी ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(39)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलेक्टर, वैशाली जिला - अध्यक्ष;

(ख) बिहार सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य;

(ग) बिहार सरकार के जल संसाधान विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य;

(घ) बिहार सरकार के लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि – सदस्य;

(ङ) बिहार सरकार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना का प्रतिनिधि- सदस्य;

(च) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(छ) बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(ज) राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि– सदस्य; और

(झ) प्रभागीय वन अधिकारी, वैशाली जिला – सदस्य सचिव।

निर्देश निबंधन :

(1) मानीटरी समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबधित उप संरक्षक वन/उद्यान और अभयारण्य, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/31/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य, बिहार के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमाएं और परिसीमाएं

अभयारण्य खंडों से बना है (कुल क्षेत्रफल : 197.91 हेक्टेयर) जिसमें एक खंड जो दक्षिण पूर्व में बरैला झील ग्राम की सीमा से लगा हुआ है, के सिवाय ग्राम झील बरैला (क्षेत्र : 1278.03 हेक्टेयर) के भीतर सन्निहित है; अत: पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमांए निम्नानुसार होगी:

IndiaCode

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के नीचे (ख) में विर्निदिष्ट एक खंड के सिवाय सभी खंड ग्राम झील बरैला की सीमा से घिरा हुआ है;

(ख) वह खंड जो कि दक्षिण पूर्व में ग्राम झील बरैला की सीमा से लगा हुआ है, वहां पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा लोमा ग्राम में 100 मीटर तक बढ़ा हुआ है ।

(ग) उपरोक्त में वर्णित पारिस्थितिक संवेदी जोन उत्तर में चकइया ग्राम (थाना सं. 496) और कवइ बरैला ग्राम (थाना सं. 580) से घिरा है; उत्तर पूर्व में अमथनवा ग्राम (थाना सं. 579), उत्तर पश्चिम मे महाथी धारामच ग्राम (थाना सं. 493) और दिह बुचौली ग्राम (थाना सं. 616), दक्षिण में दुलवर ग्राम (थाना सं. 615) और लोमा ग्राम (थाना सं. 613) और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में मानसिंहपुर बिजरौली ग्राम (थाना सं. 612) जो कि वैशाली जिला के पतेहपुर और जनदाहा ब्लॉक में प्रशासनिक रूप से अवस्थित है ।

(घ) अभयारण्य की विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र की चौढ़ाई उत्तर पूर्व में एक स्थान के सिवाय 100 मीटर या अधिक होगी जहां पर यह 50 मीटर या अधिक होगी और दक्षिण में एक स्थान पर जहां एक छोटा सा खंड ग्राम झील बरैला की सीमा से लगा हुआ है जहां चौढ़ाई शून्य मीटर होगी ;

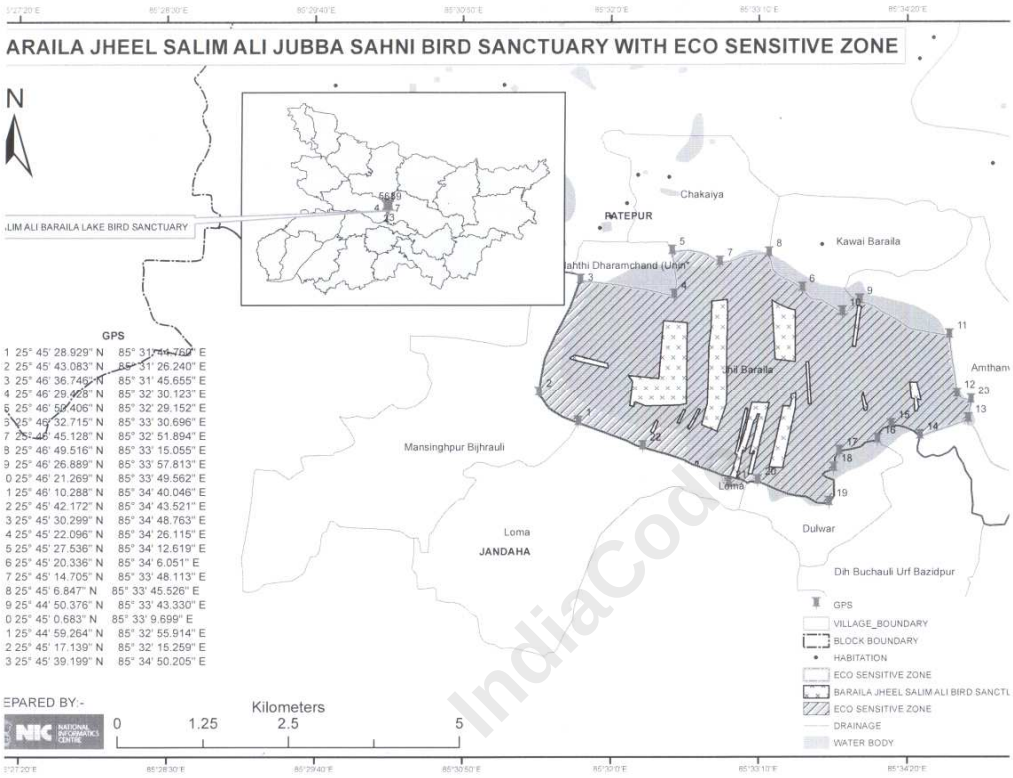
(ङ) (197.91 हेक्टेयर अभयारण्य के लिए गणना के पश्चात् ग्राम का शेष भाग) पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्रफल ग्राम झील बरैला में 1080.55 हेक्टेयर होगा और (ग्राम लोमा में विस्तारित पारिस्थितिक संवेदी जोन के सेक्टर का क्षेत्रफल) ग्राम लोमा में 3.0 हेक्टेयर होगा ।

बराइला अभयारण्य के परिधीय जी.पी.एस.		
आई.डी.	**देशांतर**	**अक्षांश**
1	85° 32' 24.977" पू	25° 46' 17.542" उ
2	85° 32' 55.211" पू	25° 46' 27.701" उ
3	85° 33' 16.391" पू	25° 46' 27.483" उ
4	85° 33' 58.467" पू	25° 46' 24.399" उ
5	85° 34' 26.492" पू	25° 45' 39.567" उ
6	85° 34' 23.614" पू	25° 45' 34.222" उ
7	85° 34' 1.071" पू	25° 45' 34.784" उ
8	85° 33' 17.129" पू	25° 45' 7.624" उ
9	85° 33' 7.002" पू	25° 45' 4.478" उ
10	85° 32' 58.025" पू	25° 45' 2.696" उ
11	85° 32' 50.393" पू	25° 45' 24.848" उ
12	85° 32' 36.430" पू	25° 45' 26.347" उ
13	85° 32' 19.983" पू	25° 45' 23.948" उ
14	85° 32' 10.972" पू	25° 45' 36.682" उ
15	85° 32' 10.329" पू	25° 45' 48.631" उ
16	85° 31' 40.712" पू	25° 45' 59.682" उ
17	85° 32' 22.793" पू	25° 45' 50.173" उ

IndiaCode

उपाबंध-II

बराइला लेक सालेम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभयारण्य, बिहार के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा और उनके अक्षांश और देशांतर के सीमांत और विस्तार सहित मानचित्र



उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।

3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2016

S.O. 3517(E).—WHEREAS, a draft notification was published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 2386(E), dated 31st August, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestion received from public or stake holders;

AND WHEREAS, the Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary with an aggregate area of 197.91 hectare (489.04 acres), is situated in the northern plains of Bihar in the wetlands of Jheel Baraila village (total area of village being 1278.03 hectare or 3158.01 acres) of Patepur Block of Vaishali District and located between 25°45'58" and 25°45'37" North latitude and between 85°31'48" and 85°34'50" East longitude;

AND WHEREAS, the Baraila Lake Bird Sanctuary and its adjoining areas are of immense ecological, and environmental importance by way of performing hydrological and wetland and aquatic ecosystem functions of riverine zone in Gangetic plains and habitat of various aquatic flora and fauna along with home to local and migratory avifauna;

AND WHEREAS, the Indian Shag, Red collard dove, Asian Koel, Small Beecatcher, Brahmany starlet and Indian tree pie are the important residential birds, Black Ibis, Brahmany Shell Duck, Bar-headed Goose, Oriental Magpie Robin and Lesser Whistling duck are some of the migratory birds found in the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 metre to 3.5 kilometre from the boundary of the Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary in the State of Bihar as the Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—**(1)The extent of Eco-sensitive Zone varies from 100 metres to 3.5 kilometres from the boundary of the Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 1083.55 hectare.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone and bird sanctuary is appended as **Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(4) The villages whose area or parts thereof falling within the Eco-sensitive Zone are, Jhil Baraila and Loma.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

i. Environment;

ii. Forest;

iii. Urban Development;

iv. Tourism;

v. Municipal;

vi. Revenue;

vii. Agriculture; and

viii. Bihar State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 23, 27, 32 and 37 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Small scale industries not causing pollution;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for eco-friendly tourism activities;

(iii) Rainwater harvesting; and

(iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Bihar in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Bihar.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.—**Disposal of solid wastes shall be as under.- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016.

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016.

(11) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in State Government. The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities:	
1.	Commercial mining, stone quarrying, brick-kiln, soil excavation, sand mining and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills, veneer mills or other wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities:	
9.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
11.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Regulated under applicable laws.

Internet

12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a)The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Drastic change of agriculture system.	Regulated as per applicable laws.
15.	Erection of electrical cables, Transmission lines and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated as per applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per r applicable laws.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.
25.	Security Forces Camp.	Regulated as per applicable laws.

Indiacode

26.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
27.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	Regulated as per applicable laws.
28.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated as per applicable laws.
29.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated as per applicable laws.
C. Promoted Activities:		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted as per applicable laws
32.	Rain water harvesting.	Shall be promoted.
33.	Organic farming.	Shall be promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Permitted as per applicable laws.
36.	Vegetative fencing.	Permitted as per applicable laws.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be promoted.
38.	Agro Forestry.	Shall be promoted.
39.	Environnemental Awareness.	Shall be promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—**The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) District Collector, District Vaishali- Chairman;

(b) A representative of the Revenue Department, Government of Bihar- Member;

(c) A representative of the Water Resource Department, Government of Bihar– Member;

(d) A representative of the Public Works Department, Government of Bihar – Member;

(e) A representative of Bihar State Pollution Control Board, Patna-Member;

(f) A representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Bihar for a term of three year – Member;

(g) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar - Member;

(h) Representative of State Bio Diversity Board-Member and

(i) Divisional Forest Officer, District Vaishali- Member-Secretary.

Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring Committee is for three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof,

shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per pro forma appended at **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/31/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary, Bihar.

The sanctuary is constituted of segments (aggregate area: 197.91 hectare) which are embedded within the village Jheel Baraila (area: 1278.03 hectare) except one segment in the south east where it touches the boundary of village Jheel Baraila; therefore the boundaries of Eco-sensitive Zone will be as follows:

(a) The Eco-sensitive Zone will be bound by the boundary of village Jheel Baraila over all segments of the sanctuary except one specified in (b) here below;

(b) For the segment in the south east which touches the boundary of village Jheel Baraila, the boundary of the Eco-sensitive Zone will extend to 100 metre in village Loma;

(c) The Eco-sensitive Zone delineated as above will be bound by Chakaiya village (Thana No. 496) and Kawai Barailla village (Thana No. 580) in the north, Amthanwa village (Thana No. 579) in the north east, Mahathi Dharamchand village (Thana No. 493) in north west and Dih Buchauli village (Thana No. 616), Dulwar village (Thana No. 615) and Loma village (Thana No. 613) in the south and Mansingpur Bijhrauli village (Thana No. 612) in the south west and west which are administratively located in Patehpur and Jandaha blocks of Vaishali District;

(d) The width of the Eco-sensitive zone on different sides from the sanctuary will be 100 metres or more except at one place in the north east where it will be 50 metres and more and at one place in the south where a tiny segment touches the boundary of village jheel Bariala where the width will be nil metre;

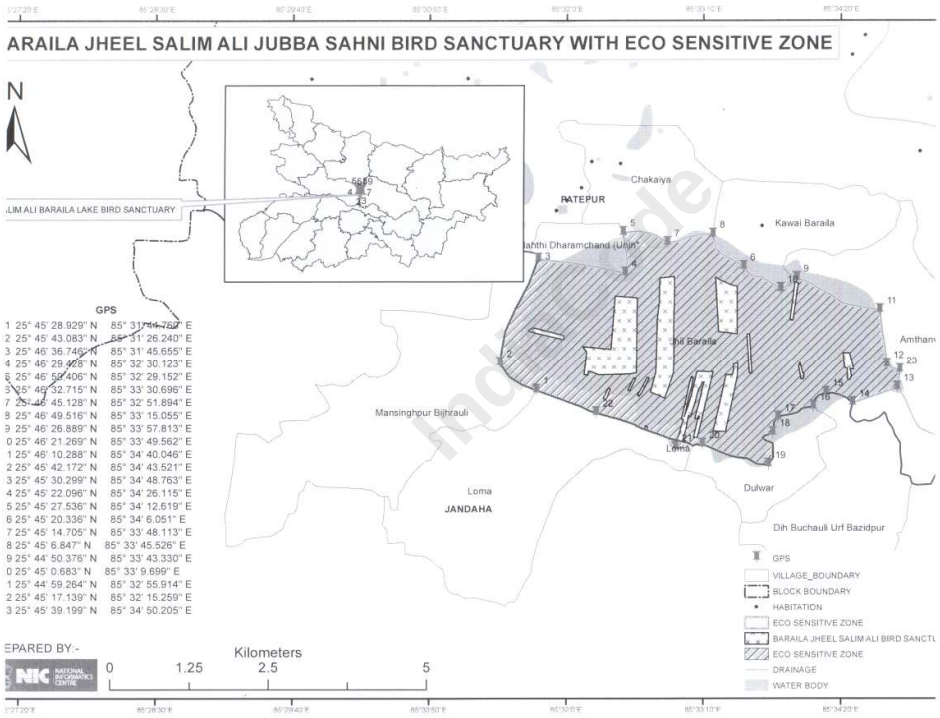
(e) The area of Eco-sensitive Zone will be 1080.55 hectares in village Jheel Baraila (being the residual area of the village after accounting for the area of the sanctuary 197.91 ha) and 3.0 hectares in village Loma (being the area of the sector of Eco-sensitive Zone extending in village Loma).

PERIPHERAL GPS OF BARAILA SANCTUARY		
Id	**x**	**y**
1	85˚ 32' 24.977" E	25˚ 46' 17.542" N
2	85˚ 32' 55.211" E	25˚ 46' 27.701" N
3	85˚ 33' 16.391" E	25˚ 46' 27.483" N
4	85˚ 33' 58.467" E	25˚ 46' 24.399" N
5	85˚ 34' 26.492" E	25˚ 45' 39.567" N
6	85˚ 34' 23.614" E	25˚ 45' 34.222" N
7	85˚ 34' 1.071" E	25˚ 45' 34.784" N
8	85˚ 33' 17.129" E	25˚ 45' 7.624" N
9	85˚ 33' 7.002" E	25˚ 45' 4.478" N

10	85˚ 32' 58.025" E	25˚ 45' 2.696" N
11	85˚ 32' 50.393" E	25˚ 45' 24.848" N
12	85˚ 32' 36.430" E	25˚ 45' 26.347" N
13	85˚ 32' 19.983" E	25˚ 45' 23.948" N
14	85˚ 32' 10.972" E	25˚ 45' 36.682" N
15	85˚ 32' 10.329" E	25˚ 45' 48.631" N
16	85˚ 31' 40.712" E	25˚ 45' 59.682" N
17	85˚ 32' 22.793" E	25˚ 45' 50.173" N

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Baraila Lake Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary, Bihar together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Annexure III

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.11.23 18:30:41 +05'30'